

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 12/2019 दायर दिनांक 11.01.2019

वादीगण

1. सोहनराम पुत्र जोराराम
2. शिवकरण पुत्र जोराराम समस्त
जाति जाट निवासी पीपला का
बास तहसील डीडवाना जिला
नागौर।

प्रतिवादीगण

1. हरलाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी
पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. मेनेजर रा.म.ग्रा. बैंक शाखा धनकोली
3. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादीगण।


--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा
पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा की शरहद में खेत खसरा सं० 186
रकबा 0.0100 हैक्टे०, वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 की सामलाती व पैत्रिक
कब्जा काशत की जमीन है।

उक्त खसरान में वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 के मध्य
बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 25.08.
2022 को तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: 652 दिनांक 14.09.2022
के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित
बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार
मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित
विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 652 दिनांक 14.09.2022 को स्वीकार कर,
हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)



--: आदेश :-


अतः हख दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादी सं० ०१ के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं० १८६ रकबा ०.०१०० हैक्टे० वाकै सरहद पीपला का बास की भूमि में वादीगण घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: ६५२ दिनांक १४.०९.२०२२ में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: ६५२ दिनांक १४.०९.२०२२ निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (कार्तिकेय मीणा)
 सहायक कलेक्टर
 R.A.S.
 डीडवाना (बठसौर)
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक ३०.०९.२०२२ को सरे इजलास सुनाया

गया।


 (कार्तिकेय मीणा)
 सहायक कलेक्टर
 R.A.S.
 डीडवाना (बठसौर)
 डीडवाना

डिक्री व मुकदमों इत्यादि
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय भीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 12/2019

दायर दिनांक 11.01.2019

वादीगण

1. सोहनराम पुत्र जोराराम
2. शिवकरण पुत्र जोराराम समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हरलाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. मेनेजर रा.म.ग्रा. बैंक शाखा धनकोली
3. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 30.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 186 रकबा 0.0100 हैक्टे0 वाकै सरहद पीपला का बास की भूमि में वादीगण घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 652 दिनांक 14.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 652 दिनांक 14.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकदमों के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)